:: कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

।। परिपत्र ।।

क्रमांक..990..../दो–12–1/2004 उज्जैन, दिनांक 23 OCT 2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा सभी न्यायालयों में निर्णय,आदेश व अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि तैयार करने हेतु फोटोकॉपी मशीन उपलब्ध कराई जाने से कार्यालयीन परिपत्र कमांक 240 दिनांक 10.04.2018 एवं आदेश क्रमांक 266 दिनांक 11.04.2019 द्वारा प्रतिलिपि अनुविभाग से प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर 15 पृष्ठों तक की प्रतिलिपि(उन्वान को छोड़कर) न्यायालय में तैयार कर प्रतिलिपि अनुविभाग में भिजवाई जाने तथा 15 पृष्ठों से अधिक की प्रतिलिपि होने पर प्रतिलिपि अनुविभाग में प्रतिलिपि तैयार करने हेतु नियमानुसार अभिलेख भिजवाये जाने हेतु आदेशित किया गया था। न्यायालयों में कार्यरत प्रस्तुतकारों/प्रवर्तन लिपिकों द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया जाकर न्यायालय में 15 पृष्ठों तक के प्रतिलिपि आवेदन प्रतिलिपि अनुविभाग में प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु प्रेषित किये जा रहे है, जिससे प्रतिलिपि अनुविभाग में अधिक संख्या में प्रतिलिपि आवेदन पत्र लंबित हो रहे है।

इस परिपत्र के माध्यम से जिला स्थापना पर जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में पदस्थ प्रस्तुतकारों/प्रवर्तन लिपिकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित प्राप्त होने वाले प्रतिलिपि आवेदन के संबंध में 15 पृष्ठों तक की प्रतिलिपि आवेदनों को 24 घंटें के भीतर तैयार कर आवश्यक रूप से प्रतिलिपि अनुविभाग में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Sd/-
(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक..10761../दो–12–1/2004 **उज्जैन, दिनांक** 24 OCT 2024

प्रतिलिपि :–

1. ....(समस्त पीठासीन अधिकारी,उज्जैन, खाचरौद,नागदा,बड़नगर,महिदपुर एवं तराना) की और सूचनार्थ एवं उक्त परिपत्र का पालन संबंधित कर्मचारी को अवगत कराते हुए पालन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. ....प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि अनुविभाग,उज्जैनखाचरौद,नागदा,बड़नगर,महिदपुर एवं तराना)
3. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय उज्जैन।
4. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय उज्जैन।
5. समस्त उप–प्रशासनिक अधिकारी,लेखापाल,समस्त सहायक लेखापाल।

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)